

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड़वानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 120 / 2014
संस्थान दिनांक 26.02.2014

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

वि रु द्ध

1. अशोक पिता बिहारीलाल पाटीदार, आयु 35 वर्ष
निवासी-इच्छापुर, थाना ऊन,
जिला खरगोन म.प्र.
2. शांतिलाल पिता हिरालाल अवासे, आयु 25 वर्ष
निवासी- ग्राम मुंडला, थाना राजपुर
जिला खरगोन म.प्र.

-----अभियुक्तगण

// नि र्ण य //

(आज दिनांक 30 / 07 / 2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 44 / 2014 अंतर्गत धारा 11 'घ' म.प्र. पशु प्रतिषेध अधिनियम, एवं धारा 4, 6, 9 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम में दिनांक 26.02.2014 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 18.02.2014 को समय प्रातः 14:05 बजे, घोलानिया फाटा, ए.बी. रोड पर वाहन पीकअप क्रमांक एम.पी. 10 जी. 0461 में नग 04 केड़े एवं 6 नग बैलों को मारपीट कर क्रूरतापूर्वक मुँह एवं पैर बांधकर ले जाने, गौवंश के नग 04 केड़े एवं नग 06 बैलों को वध के प्रयोजन हेतु या यह ज्ञान रखते हुए कि उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या वध किये जाने की संभावना है, वाहन पीकअप क्रमांक एम.पी. 10 जी. 0461 में वध हेतु अन्य राज्य महाराष्ट्र की ओर परिवहन करते पाये जाने, गौवंश के नग 04 केड़े एवं नग 06 बैलों को वध के प्रयोजन के लिए या यह जानते हुए उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या किये जाने की संभावना है, उन्हें वाहन पीकअप क्रमांक एम.पी. 10 जी. 0461 में राज्य के भीतर या राज्य के बाहर वध हेतु उनका परिवहन करने के संबंध में धारा 11 (घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1860, धारा 6 सहपठित धारा 11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 एवं धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 18.02.2014 को थाना ठीकरी के सहायक उपनिरीक्षक मेहताबसिंह चौहान हमराह सैनिक संजीव शर्मा के साथ इलाका भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि वाहन पीकअप क्रमांक एम.पी. 10 जी. 0461 में बैलों को क्रूरतापूर्वक भरकर वध हेतु महाराष्ट्र ले जा रहे हैं। सूचना पर राहगीर पंच चरणसिंह एवं कमल को ए.बी. रोड़ घोलानिया फाटे पर मुखबिर की सूचना से अवगत कराया, वह हमराह लेकर घोलानिया फाटा ए.बी. रोड़ पर ठीकरी की ओर जाने वाले वाले वाहनों को चेक किया, तभी ठीकरी की ओर से वाहन पीकअप क्रमांक एम. पी. 10 जी. 0461 आते दिखा जिसे चेक करने पर उसमें नग 10 बैल-कैड़े थे, जिनके मुँह एवं पैर बंधे हुए थे। पुलिस ने वाहन चालक का नाम, पता पूछने पर उसने अपना नाम अशोक पिता बिहारीलाल, निवासी इच्छापुर तथा शांतिलाल पिता हिरालाल निवासी मुंडला का होना बताया। वाहन चालक से बैलों के क्रय-विक्रय तथा परिवहन संबंधित कागजात पूछने पर नहीं होना बताये तथा पुलिस ने घटनास्थल पर ही पंच साक्षियों के समक्ष अभियुक्तगण से उक्त बैल-कैड़े एवं वाहन जप्त कर प्रदर्शपी 1 का जप्ती पंचनामा बनाया, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्तगण शांतिलाल एवं अशोक को गिरफ्तार कर प्रदर्शपी 2 एवं 3 के गिरफ्तारी पंचनामे बनाये तथा अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 44/2014 अंतर्गत धारा 11 'घ' म.प्र. पशु प्रतिषेध अधिनियम, 1960 एवं धारा 4, 6, 9 कृषिक पशु प्रतिषेध अधिनियम, 2004 में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 4 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने साक्षीगण आरक्षक चरणसिंह एवं कमल के कथन लेखबद्ध कर संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालिन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़ द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 11 (घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1860, धारा 6 सहपठित धारा 11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 एवं धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं कि –

1. क्या अभियुक्तगण दिनांक 18.02.2014 को समय प्रातः 14:05 बजे, घोलानिया फाटा, ए.बी. रोड़ पर वाहन पीकअप क्रमांक एम.पी. 10 जी. 0461 में नग 04 केड़े एवं 6 नग बैलों को मारपीट कर कूरतापूर्वक मुँह एवं पैर बांधकर ले जा रहे थे ?

2. क्या अभियुक्तगण उक्त दिनांक, समय व स्थान पर गौवंश के नग 04 केड़े एवं नग 06 बैलों को वध के प्रयोजन हेतु या यह ज्ञान रखते हुए कि उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या वध किये जाने की संभावना है, वाहन पीकअप क्रमांक एम.पी. 10 जी. 0461 में वध हेतु अन्य राज्य महाराष्ट्र की ओर परिवहन करते पाये गये ?

3. क्या अभियुक्तगण उक्त दिनांक, समय व स्थान पर गौवंश के नग 04 केड़े एवं नग 06 बैलों को वध के प्रयोजन के लिए या यह जानते हुए उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या किये जाने की संभावना है, उन्हें वाहन पीकअप क्रमांक एम.पी. 10 जी. 0461 में राज्य के भीतर या राज्य के बाहर वध हेतु उनका परिवहन किया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में कमल (अ.सा.1), डॉ. शिवकुमार दागोड़े (अ.सा.2), चरणसिंह मेहता (अ.सा.3) एवं सहायक उपनिरीक्षक मेहताबसिंह चौहान (अ.सा.4) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्तों की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

**साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 व 3 के संबंध में**

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त तीनों प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में सहायक उपनिरीक्षक मेहताबसिंह चौहान (अ.सा.4) का कथन है कि दिनांक 18.02.14 को वह थाना ठीकरी में प्रधान आरक्षक के पद पर था तथा सैनिक संजीव शर्मा के साथ ग्राम घोलानिया में ईलाका भ्रमण पर था। मुखबिर पर उसे सूचना मिली कि वाहन पीकअप क्रमांक एम.पी. 10 जी. 0461 में अवैध रूप से बैलों को कूरतापूर्वक भरकर वध हेतु महाराष्ट्र की ओर ले जा रहे हैं, सूचना पर विश्वास कर उसने ए.बी. रोड़

घोलानिया फाटे पर राहगीर पंच चरण पिता रामलाल एवं कमल पिता मांगीलाल को बुलाकर मुखबिर की सूचना से अवगत कराया था तथा उन्हें साथ लेकर ग्राम घोलानिया फाटा ए.बी. रोड़ पर आने वाले वाहनों को चेक किया। वाहन पीकअप क्रमांक एम.पी. 10 जी. 0461 के आने पर उसे रोका, चेक करने पर उसमें 10 नग बैल और केड़े जिनके मुँह एवं पैर रस्सी से बंधे हुए तथा छोटे से पीकअप वाहन में कूरतापूर्वक भरे हुए पाये गये। उक्त पीकअप वाहन के चालक से बैलों एवं केड़ों के क्रय-विक्रय एवं परिवहन संबंधी दस्तावेजों के पूछने पर उसने कोई भी दस्तावेज होना नहीं बताया। चालक का नाम पूछने पर अपना नाम अशोक पिता बिहारीलाल तथा पीकअप वाहन में बैठे हुए एक अन्य व्यक्ति ने अपना नाम शांतिलाल पिता हीरालाल बताया था। उसने मौके से उक्त पीकअप वाहन तथा उसके भरे हुए नग 4 केड़े एवं नग 6 बैल प्रदर्शपी 1 के अनुसार जप्त किये थे जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। उसने साक्षी चरण एवं कमल के कथन घटनास्थल पर ही लेखबद्ध किये थे और जप्त बैलों को अस्थाई सपुदर्गी पर भगवानपुरा गौशाला छोड़ा था तथा अभियुक्तों एवं वाहन को थाने पर लाया था जहाँ उसने अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 44/14 गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4, 6, 9 तथा पशुकूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 घ तथा म.प्र. पशु कृषि परिरक्षण अधिनियम की धारा 6/11 में प्रकरण दर्ज कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 8 की लेखबद्ध की थी जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं उसने जप्त बैलों का चिकित्सीय परीक्षण करवाया था और उसने वाहन एवं बैलों को राजसात करने के लिए पुलिस अधीक्षक बड़वानी के माध्यम से जिला कलेक्टर बड़वानी को पत्र भेजा था।

8. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने त्रिपाल और रस्सी जप्त नहीं की थी और रवानगी रोजनामचे की नकल संलग्न नहीं की है। साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदर्शपी 1 के वापसी रोजनामचे में सान्हा क्रमांक का उल्लेख नहीं किया है। साक्षी ने स्पष्ट किया कि कार्बन नहीं लगाने से छपा नहीं था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि वह पीकअप वाहन का आकार नहीं बता सकता है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि रोजनामचे की वापसी एवं प्रथम सूचना प्रतिवेदन तथा अंतिम प्रतिवेदन में पीकअप वाहन के पीछे के आकार का उल्लेख नहीं है। साक्षी ने स्वीकार किया कि म.प्र. राज्य में कई गाँवों एवं शहरों में पशु बाजार लगता है तथा पशुओं का क्रय-विक्रय होता है। उसे घटनास्थल से महाराष्ट्र राज्य की दूरी पता नहीं है लेकिन साक्षी ने 70 या 80 किलोमीटर होना बताया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि महाराष्ट्र के किसी गाँव या शहर का उल्लेख रोजनामचे या अंतिम प्रतिवेदन में नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि ग्राम कानवान में पशु बाजार मंगलवार को लगता है और यदि कोई व्यक्ति कानवान से कृषि हेतु बैल क्रय कर राजपुर या आसपास के गाँव ले जाये तो घटनास्थल वाले रास्ते से ही जाना होता है। ग्राम कानवान म.प्र. राज्य में है और ठीकरी से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना का समय दिन

का है और ए.बी. रोड़ से सेकड़ों वाहन निकलते हैं, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने पीकअप वाहन में कोई बैल जप्त नहीं किये थे अथवा वह अपनी विवेचना को बल देने के लिए असत्य कथन कर रहा है। अभियुक्त शांतिलाल की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि कृषि कार्य हेतु किसानों को 2 पशुओं की आवश्यकता होती है।

9. कमल असा 1, चरणसिंह असा 3 ने अभियुक्तों को पहचानने से तथा उनके सामने अभियुक्त अशोक से कोई भी जप्ती की जाने से इंकार कर अभियोजन के मामले का खण्डन किया है। साक्षियों ने केवल प्रदर्शपी 1 लगायत 3 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। उक्त दोनों ही साक्षियों को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने अभियोजन के इस सुझाव को इंकार किया कि दिनांक 18.02.14 को दोपहर को पुलिस ने उसे बताया था कि वाहन पीकअप क्रमांक एम.पी. 10 जी. 0461 में बैलों को कूरतापूर्वक भरकर माहाराष्ट्र वध हेतु ले जा रहे हैं। साक्षियों ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह पुलिस के साथ ग्राम घोलानिया फाटा ए.बी. रोड़ गये थे, तब पुलिस ने ठीकरी की ओर से आ रहे उक्त वाहन को रोककर उसकी जाँच कर उसमें 10 नग बैल एवं केड़े को मुँह एवं पैर बंधे हुए पाये थे। साक्षियों ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि उक्त पीकअप वाहन का चालक अभियुक्त अशोक था और उसमें बैठा अभियुक्त शांतिलाल था। यहाँ तक कि साक्षियों ने पुलिस को प्रदर्शपी 4 एवं 7 का कथन देने से भी इंकार किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी कमल असा 1 ने यह स्वीकार किया कि उसने उक्त पंचनामों पर लक्ष्मी ढाबे पर हस्ताक्षर किये थे उस समय उसके एवं पुलिस के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित नहीं था। चरण असा 3 ने बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया कि उसने उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर थाने पर किये हैं।

10. डॉ. शिवकुमार दागोड़े असा 2 ने दिनांक 21.02.2014 को पशु चिकित्सालय ठीकरी में थाना ठीकरी से पत्र प्रदर्शपी 5 के आधार पर अपराध क्रमांक 44/2014 में जप्त बैल एवं केड़े कुल 10 नग का वृंदावन गोशाला भगवानपुरा पहुँचकर परीक्षण करने पर उनके शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं होना पाये थे और उन्हें कृषि कार्य एवं प्रजनन के लिए उपयोगी होना पाये थे। साक्षी ने उसका मेडिकल परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 6 भी प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि पुलिस द्वारा उसे प्रदर्शपी 5 का पत्र जारी किया गया था वह किस दिनांक को जारी किया गया था, इसका उल्लेख नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने प्रदर्शपी 6 में परीक्षण किये जाने का उल्लेख नहीं किया है, साक्षी ने स्वतः कहा कि उसने 21.02.2014 को परीक्षण किया था तथा उसी दिन परीक्षण रिपोर्ट भी दी थी।

11. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्तों से बैल एवं केड़े जप्त किये जाने के दोनों साक्षीगण पक्षविरोधी रहे हैं तथा उन्होंने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। यहाँ तक कि उन्होंने अभियुक्तों को न्यायालय में पहचाना भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा शंकास्पद हो जाती है और अभियुक्तगण उक्त अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है और न ही उनके विरुद्ध कोई निष्कर्ष अभिलिखित किया जा सकता है।

12. यह सही है कि जप्ती पंचनामों के दोनों साक्षीगण पक्षविरोधी रहे हैं और उन्होंने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है, लेकिन उक्त दोनों ही साक्षी कमल असा 1 एवं चरण असा 2 ने प्रदर्शपी 1 व 2 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। साक्षियों का यह कथन नहीं है कि पुलिस ने उनसे जबरजस्ती हस्ताक्षर करवाये थे। अभियुक्त अशोक से उक्त 10 बैल एवं केड़े छोटे से पीकअप वाहन में कूरतापूर्वक भरकर ले जाने के संबंध में मेहताबसिंह चौहान ने असा 4 के कथन पूर्णतः विश्वसनीय है और उसका कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है। साक्षी का यह भी कथन है कि अभियुक्त अशोक घटना के समय उक्त वाहन से केड़ों एवं बैलों को परिवहन कर रहा था जिसके परिवहन या खरीदने का कोई भी दस्तावेज अभियुक्त अशोक के आधिपत्य में नहीं था। बचाव पक्ष की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है न उक्त साक्षी को यह सुझाव दिया गया है कि मेहताबसिंह चौहान ने अभियुक्त से कोई दुर्भावना होते हुए जानबूझकर अभियुक्त के विरुद्ध यह असत्य प्रकरण बनाया है।

13. माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायदृष्टांत **करमजीतसिंह विरुद्ध स्टेट, 2003 (5) एस.सी.सी. 298 तथा नाथुसिंह विरुद्ध म.प्र.राज्य, 1973, सु.को. 2783** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि पुलिस अधिकारियों की साक्ष्य को केवल इस आधार पर यांत्रिक तरीके से तिरस्कृत नहीं करना चाहिए कि अन्य अभियोजन साक्षियों ने मामले का समर्थन नहीं किया है। पुलिस अधिकारियों की साक्ष्य को भी स्वतंत्र साक्षी की पुष्टि के बिना किसी आधार के अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **मनोज कुमार शुक्ला विरुद्ध म.प्र. राज्य, 2004 (4) एम. पी.एल.जे. 179** भी अवलोकन योग्य है। ऐसी स्थिति में जप्ती पंचनामों के साक्षियों के पक्षविरोधी हो जाने के मात्र से अभियोजन का सम्पूर्ण मामला दूषित नहीं हो जाता, जब तक कि बचाव पक्ष की ओर से ऐसी कोई दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं किये गये हो, जिससे कि यह प्रमाणित हो कि पुलिस अधिकारियों ने दुर्भावनापूर्वक अभियुक्तों के विरुद्ध असत्य प्रकरण बनाया है।

14. अभियुक्त अशोक के आधिपत्य से जप्त किये गये उक्त 10 बैल एवं केड़ों का परीक्षण डॉक्टर शिवकुमार दागोड़े असा 2 द्वारा किया गया है जिसमें बैलों एवं केड़ों के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं होना बताई है, लेकिन मेहताबसिंह चौहान असा 4 का स्पष्ट कथन है कि छोटे से पीकअप वाहन में उक्त बैल एवं केड़े कूरतापूर्वक भरे पाये गये, जिसका कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है। इस प्रकार अभियोजन की साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से यह युक्तियुक्त प्रमाणित होता है कि अभियुक्त अशोक पिता बिहारीलाल ने दिनांक 18.02.2014 को ऐ.बी. रोड़ पर पीकअप वाहन क्रमांक एम.पी. 10 जी. एफ. 0461 में 06 बैल एवं 04 नग केड़ों को छोटे से पीकअप वाहन में बिना किसी वैद्य दस्तावेजों के रखे हुए उनका कूरतापूर्वक परिवहन किया है।

15. म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 की धारा 12 के अनुसार यदि उक्त अधिनियम की धारा 5, 6, 7 का उल्लंघन किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो इसी अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत विचारण में यह साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा कि उक्त कृषिक पशु का वध या परिवहन या विक्रय अधिनियम के उल्लंघन में नहीं था। म.प्र. गौवंश प्रतिषेध अधिनियम, 2004 की धारा 13 'क' में भी यह प्रावधान है कि जहाँ किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाता है, वहाँ यदि अभियोजन उसके विरुद्ध प्रथमदृष्टि में साक्ष्य प्रस्तुत करने की स्थिति में है तो यह साबित करने का भार अभियुक्त पर है कि उसने इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई अपराध कारित नहीं किया है, लेकिन इस प्रकरण में अभियुक्त की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे कि उक्त उपधारणाओं का खण्डन हो सके।

16. इस प्रकार अभियोजन की साक्ष्य और प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त अशोक द्वारा दिनांक 18.02.2014 को दोपहर 14:05 बजे ग्राम घोलानिया फाटा ऐ.बी. रोड़ पर पीकअप वाहन क्रमांक एम.पी. 10 जी. 0461 में नग 6 बैलों एवं 04 केड़ों को कूरतापूर्वक मुँह एवं पैर रस्सी से बांधकर परिवहन उनका वध करने के आशय से किया जा रहा था। इस प्रकार अभियुक्त अशोक के विरुद्ध पशु कूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 (1) डी, म.प्र. पशु कृषिक परिरक्षण अधिनियम, 1959 की धारा 6/11, म.प्र. गौवंध वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 की धारा 6, 9 का अपराध संदेह से परे प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्त अशोक को उक्त धाराओं के अपराधों में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

17. अभियुक्त अशोक के विरुद्ध म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 की धारा 4 'का' भी आरोप विरचित किया गया है, लेकिन अभियोजन साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तों ने उक्त जप्त गौवंश का वध किया है या करवाया है या वध के लिए दिया है या दिलवाया है। ऐसी स्थिति में उक्त अपराध अभियुक्तों के विरुद्ध प्रमाणित नहीं होने से उन्हें म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 की धारा 4 के अपराध में दोषमुक्त किया जाता है।

18. जहाँ तक अभियुक्त शांतिलाल पिता हीरालाल के विरुद्ध उक्त अपराधों के आरोपों का संबंध है वहाँ मेहताबसिंह असा 4 ने मुख्य परीक्षण में यह स्पष्ट किया है कि उक्त अभियुक्त अशोक पीकअप वाहन क्रमांक एम.पी. 10 जी. 0461 से बैलों एवं केड़ों को परिवहन कर रहा था तथा साथ में बैठे हुए व्यक्ति ने अपना नाम शांतिलाल पिता हिरालाल बताया था। जप्ती पंचनामा प्रदर्शपी 1 के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि अभियुक्त अशोक के आधिपत्य से उक्त बैल एवं केड़े जप्त किये गये थे और अभियुक्त शांतिलाल केवल उसके साथ था। उक्त जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी का यह कथन नहीं है कि अभियुक्त शांतिलाल भी उक्त पशुओं का परिवहन अभियुक्त अशोक के साथ मिलकर कर रहा था अथवा वह भी अपराध में शामिल था। ऐसी स्थिति में अभियुक्त शांतिलाल पिता हिरालाल के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होते हैं। अतः उसे धारा 11 (घ) पशु कूरता निवारण अधिनियम, 1860, धारा 6 सहपठित धारा 11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 एवं धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 में संदेह का लाभ देकर दोषमुमुक्त किया जाता है। अभियुक्त शांतिलाल पिता हिरालाल के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

19. चूँकि अभियुक्त अशोक को पशु कूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 डी., म.प्र. पशु कृषिक परिरक्षण अधिनियम, 1959 की धारा 6/11 एवं म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 की धारा 6/9 के अपराध में दोषसिद्ध किया गया है तथा अपराध की गंभीरता और प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तों को परीक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः सजा के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय स्थगित किया गया है।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़,
जिला-बड़वानी म.प्र.

पुनश्च:-

20. सजा के प्रश्न पर अभियुक्त अशोक एवं उसके अधिवक्ता को सुना गया, उनका निवेदन है कि अभियुक्त नियमित रूप से प्रकरण में उपस्थित रहा है और विचारण का सामना किया है। अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये। यह सही है कि अभियुक्त अशोक कम आयु के नवयुवक होकर तथा विचारण का शीघ्रता से सामना किया है लेकिन समाज में बढ़ रहे इस तरह के अपराधों को देखते हुए अभियुक्त को न्यूनतम दण्ड से दण्डित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायालय अभियुक्त अशोक को पशु कूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 डी., में अभियुक्त अशोक को दोषसिद्ध ठहराते हुए 50/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा

न करने की दशा में अभियुक्त अशोक 2 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा। म.प्र. पशु कृषिक परिरक्षण अधिनियम, 1959 की धारा 6/11 में अभियुक्त अशोक को दोषसिद्ध ठहराते हुए 6 माह के सश्रम कारावास तथा 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने की दशा में अभियुक्त 1 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगतेगा एवं म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 की धारा 6/9 के अपराध में अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराते हुए हुए 1 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने की दशा में अभियुक्त 6 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगतेगा। उक्त सभी सजाएँ साथ-साथ चलेगी। अभियुक्त अशोक द्वारा बिताई गई अभिरक्षा की अवधि कारावास की सजा में समायोजित की जाये।

21. अभियुक्त अशोक के न्यायिक अभिरक्षा में रहने हेतु द.प्र.सं. की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाये जाये।

22. अभियुक्त अशोक के जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

23. प्रकरण में जप्त 06 बैल एवं 04 केड़े तथा पीकअप वाहन क्रमांक एम.पी. 10 जी. 0461 के अधिग्रहण की कार्यवाही जिला कलेक्टर बड़वानी द्वारा की जा रही है। अतः इस संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट , अंजड़ जिला बड़वानी (म0प्र0)

// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत //

मै श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 120/2014 (शासन
तर्फे पुलिस ठीकरी विरुद्ध अशोक आदि) में अभियुक्त की निरोध अवधि का
प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ-

| | | |
|-------------------------------|----|---|
| अभियुक्त का नाम | :- | अशोक पिता बिहारीलाल पाटीदार, आयु 35 वर्ष निवासी-इच्छापुर, थाना ऊन, जिला खरगोन म.प्र. |
| गिरफ्तारी का दिनांक | :- | 18.02.2014 |
| पुलिस रिमाण्ड की दिनांक | :- | निरंक |
| न्यायिक अभिरक्षा की दिनांक :- | | अभियुक्त दिनांक 19.02.2014 से दिनांक 29.04.2014 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा है, इस प्रकार अभियुक्त ने कुल 69 दिवस बिताये है। |

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़,
जिला-बड़वानी, म0प्र0